मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

वंदे मातरम् ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को स्वर दिया- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने एसएमएस स्टेडियम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि यह समारोह केवल उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को गीत की मूल क्रांतिकारी भावना से जोड़ना है।**

जयपुर, 7 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम सभी राष्ट्रीय चेतना के महान गीत "वन्दे मातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने के साक्षी बन रहे हैं तथा अमर काव्य की वंदना कर रहे हैं। वन्दे मातरम् ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को स्वर दिया, जिसने करोड़ों भारतीयों के हृदय में राष्ट्रप्रेम की ज्वाला प्रज्ज्वलित की। उन्होंने कहा कि यह केवल एक गीत नहीं है बल्कि हमारी सामूहिक चेतना, हमारी आत्मा की पुकार तथा मातृभूमि के प्रति हमारी अनंत श्रद्धा का प्रतीक है। शर्मा शुक्रवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रगीत के 150 वर्षों का ऐतिहासिक उत्सव मना रहे हैं। युवा भारत के भविष्य हैं, राष्ट्र की आशा हैं और इस महान विरासत के संरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की घोषणा के समय भी वन्दे मातरम् गाया था। क्रांतिकारी जब फांसी के तख्ते पर चढ़ ते थे तो उनके होठों पर भी वन्दे मातरम् होता था। अंग्रेज इस गीत से इतने भयभीत थे कि इसे सार्वजनिक रूप से गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 1 अक्टूबर को वन्दे मातरम् के 150वें वर्ष के राष्ट्रव्यापी समारोह की स्वीकृति देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह समारोह केवल उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका उद्देश्य हमारे नागरिकों को, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को इस गीत की मूल क्रांतिकारी भावना से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री ने वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें 1857 की क्रांति व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के योगदान से संबंधित जानकारी एवं विकसित भारत से संबंधित पेंटिंग्स दिखाई गईं।

इसके पश्चात उन्होंने वन्दे मातरम् सैण्ड आर्ट को भी देखा। समारोह में शर्मा ने प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त गायक पीयूष पंवार ने राष्ट्र भक्ति के गीतों की सुरमयी प्रस्तुति दी। साथ ही, ड्रोन से स्टेडियम में पुष्प वर्षा की गई। संपूर्ण कार्यक्रम में आमजन, प्रतिभागियों, स्कूली छात्र-छात्राओं एवं कलाकारों ने एक स्वर में भारत माता की जय और वन्दे मातरम् के जयकारों से पूरे आयोजन को जोश से भर दिया। राजस्थान के लोक कलाकारों ने वाद्ययंत्रों के माध्यम से विशेष प्रस्तुतियां दी। लोगों ने केसरिया साफा पहनकर एवं हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर विकसित भारत के विजन को मजबूत बनाया। शर्मा ने सभी लोगों को आत्मनिर्भर भारत की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने जब आसमान में गुब्बारे छोड़े तो पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर हो उठा।

इस अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़ म, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, सांसद व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, घनश्याम तिवाड़ी, राव राजेन्द्र सिंह, मंजू शर्मा तथा विधायकगण सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं, युवा व आमजन उपस्थित थे।

ग्रेट ईस्टर्न रिटेल पर 51 हजार का हर्जाना

जयपुर, 7 नवंबर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने सेवादोष के एक मामले में ग्रेट ईस्टर्न रिटेल पर 51 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं एसी इंस्टालेशन चार्ज की राशि 2145 रुपए व डिस्काउंट की बकाया राशि

- **जिला उपभोक्ता आयोग ने एक ग्राहक के परिवाद पर आदेश दिये।**

2000 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा व सदस्य सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश रामप्रकाश कुमावत के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी ग्रेट ईस्टर्न रिटेल की स्कीम व छूट से प्रभावित होकर 22 मई 2025 को विपक्षी के यहां एक एसी खरीदने के लिए गया। परिवादी ने वोल्टास का 42 हजार रुपए का एसी पसंद किया तो विक्रेता ने उसे बताया कि एसी खरीदने पर डिलीवरी व इंस्टालेशन फ्री मिलेगा। वहीं, क्रेडिट कार्ड से खरीद पर 5 हजार रुपए का डिस्काउंट व एक्सटेंड वारंटी मिलने की बात भी कही। परिवाद में कहा गया कि विपक्ष विक्रेता का यह कृत्य सेवा दोष की परिभाषा में आता है। ऐसे में उसे मुआवजा और परिवाद खर्च के साथ-साथ अदा की गई राशि दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने विक्रेता पर हर्जाना लगाया है।

चीन के युद्ध पोतों की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टेक ऑफ सिस्टम, जहाज के विमानों को पारंपरिक "स्काई जंप" सिस्टम के बिना भी अधिक भार उठाने में सक्षम बनाता है। ऐसी प्रणाली केवल कुछ अमेरिकी विमानवाहक पोतों में ही मौजूद है। इसके अलावा, फुजियान में हथियार प्रणालियों और उच्च तकनीक वाले उपकरणों का एक विशाल भंडार है, जो इसे समुद्र में एक शक्तिशाली व दुर्जेय दुश्मन बनाता है।

दुनिया भर के मीडिया और रणनीतिक विशेषज्ञों ने इस नए पोत के शामिल होने पर गहराई से ध्यान दिया है और यह चर्चा शुरू हो गई है कि यह अमेरिका की नौसेना के लिए किस तरह की चुनौती पेश करेगा। संख्या के मामले में चीन की नौसेना कहीं आगे निकल चुकी है, हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि तकनीकी और रणनीतिक क्षमता में अमेरिका अब भी चीन से आगे है।

जो बात अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, वह भारत के लिए तीन गुना ज्यादा चिंताजनक है। चीन अब हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी को परख रहा है। उसके जहाज अब नियमित रूप से हिंद महासागर में दिखाई देने लगे हैं, जो कि परंपरागत रूप से भारतीय नौसेना का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है।

चीन ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है और उसका निगरानी क्षेत्र मलक्का जलडमरूमध्य (मलक्का स्ट्रेट्स) से लेकर दक्षिण चीन सागर तक फैल गया है। यह वही इलाका है, जो भारतीय नौसेना की प्रमुख रुचि का क्षेत्र है। कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना के उप प्रमुख ने नौसेना के सामने मौजूद चुनौतियों और उसकी निगरानी क्षमताओं का विस्तृत विवरण दिया था।

लेकिन, निश्चित रुप से इस जहाज के लाँच होने से अमेरिका के लिए चिंताएं और बढ़ गई हैं। पहले ही अमेरिका उस तेज़ रफ्तार से हैरान है, जिस गति से चीन ने अपनी नौसेना में नए जहाज जोड़े हैं।

संख्या के हिसाब से चीनी नौसेना अब अमेरिकी बेड़े से कम से कम 20 प्रतिशत बड़ी है। इसके अलावा, चीन के शिपयार्ड्स में नए जहाजों के निर्माण की क्षमता अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है।

यह नया पोत निकट भविष्य में प्रशांत महासागर के उन इलाकों में तैनात किया जाएगा, जहां हाल के महीनों में चीनी गश्ती जहाजों और अन्य देशों के जहाजों के बीच झड़पें बढ़ गई हैं। चीन लगातार अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों और वैश्विक समुद्री मार्गों के बड़े हिस्सों पर अपना "संप्रभु क्षेत्र" होने का दावा कर रहा है। इससे दक्षिण चीन सागर के आसपास के देशों के साथ गंभीर तनाव बढ़ रहा है।

चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना विशेष समुद्री क्षेत्र बता रहा है, जबकि इस सागर के तट पर कई अन्य देशों की सीमाएँ हैं और उनके अपने समुद्री अधिकार हैं। कुछ महीने पहले चीन का फिलीपींस से विवाद हुआ था और इंडोनेशिया व वियतनाम के साथ भी लगातार तनाव बना हुआ है।

इन हालात ने चीन को न केवल अपने पड़ोसी देशों से, बल्कि दुनिया भर के अन्य समुद्री देशों से भी टकराव की स्थिति में ला दिया है। हाल ही में हुई ऐसी ही एक मुठभेड़ में ऑस्ट्रेलिया ने शिकायत की कि चीनी जहाजों ने उनके पोतों के आसपास गैर -पेशेवर तरीके से पैंतरेबाजी की और चालक दल व अन्य लोगों की जान को खतरे में डाला। तथापि, मौजूदा समय में चीन इस क्षेत्र के अन्य लोगों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

शी जिनपिंग चीन के साम्राज्यवादी विचार को प्राथमिकता दे रहे हैं और अब इस पुराने साम्राज्य को उसके अधिकतम विस्तार तक फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लगभग पूरा दक्षिण पूर्व एशिया, आसपास के समुद्री क्षेत्र और विशेषरुप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर सहित, भारत का संपूर्ण उत्तर -पूर्वी क्षेत्र शामिल है।

ऐसे दृष्टिकोण के साथ, चीन का कई देशों से टकराव होना तय है, और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि भविष्य में चीन के साथ किसी संभावित टकराव के लिए वह पूरी तैयारी करे।

भारत को ऐसे टकराव और आमने-सामने की टक्कर से बचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, जब तक कि वह आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति के मामले में चीन के बराबर नहीं पहुँच जाता।

आरएएस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्मिक विभाग के साल 2008 के परिपत्र के तहत, निलंबन से बहाल होने पर अधिकारी पदोन्नति का अधिकारी होता है। इस परिपत्र के आधार पर दो आईएएस अफसरों को भी आपराधिक मामला लंबित होने के बावजूद पदोन्नति दी गई है। ऐसे में अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं देना गलत है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने अपीलार्थी का लिफाफा खोलने के आदेश दिए हैं।

फीफा ट्रंप को शांति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह पुरस्कार उस समर्थन और सहयोग के बदले किये गये एक प्रतिदान के रुप में देखा जा सकता है।

ट्रम्प के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। वाशिंगटन के कैनेडी सेंटर में एक भव्य समारोह, जहां वे, उनकी छवि में चार चांद लगाने वाले, इस "वैश्विक सम्मान" को प्राप्त करने वाले राजनेता के रूप में प्रस्तुत होंगे, वो भी ऐसे समय पर, जब वे देश में अपनी सत्ता मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फीफा के लिए इस कदम का औचित्य समझाना शायद बहुत मुश्किल होगा। कतर की मेज़बानी विवादों से लेकर प्रायोजन घोटालों तक, अपनी छवि चमकाने के इस संगठन के पिछले प्रयास अक्सर उल्टे पड़े हैं।

नोबेल पुरस्कार की महत्ता उसकी राजनीति से दूरी में निहित है। उसकी समितियों ने हमेशा सरकारों को चुनौती देते हुये, सोवियत असंतुष्टों चीनी कार्यकर्ताओं या युद्ध क्षेत्रों में काम करने वाले मानवीय संगठनों को सम्मानित किया है। लेकिन फीफा की संरचना ही ऐसी है कि वह इस तरह की निष्पक्षता का दावा नहीं कर सकता। इसके फैसले प्रसारण सौदों, राष्ट्रीय संघों और व्यावसायिक साझेदारों से प्रभावित होते हैं।

इस असंतुलन के कारण नोबेल और फीफा की तुलना अपने आप में ही अन्यायपूर्ण है, और यह नोबेल के साथ अन्याय भी है। खेल प्रशासन के गलियारों में पैदा हुआ पुरस्कार कभी भी उस पुरस्कार की नैतिक शक्ति का वाहक नहीं हो सकता, जिसकी जड़ें वैश्विक अंतरात्मा में पैठ चुकी हैं।

सच कहा जाए तो फुटबॉल ने दुनिया के बिखरे समाजों में मेल-मिलाप की भूमिका निभाई है। अफ्रीका के युद्धग्रस्त इलाकों से लेकर जॉर्डन के शरणार्थी शिविरों तक, इस खेल ने एकता और उम्मीद के पल दिए हैं। अगर फीफा ऐसी पहलों और प्रयासों - सामुदायिक कोचों, शरणार्थी खिलाड़ियों या खेल के माध्यम से शांति अभियानों - को सम्मानित करे, तो यह पुरस्कार सचमुच सार्थक बन सकता है। लेकिन अगर इसे किसी राजनीतिक दिग्गज को दिया गया, तो ध्यान शांति से हटकर प्रचार पर चला जाएगा।

जब इन्फेंटिनो 5 दिसंबर को विजेता की घोषणा करेंगे, तो उस घोषणा में जितना विजेता के बारे में बताएगा जायेगा, उतना ही फीफा के बारे में भी। अगर पुरस्कार ट्रम्प को मिला, तो यह साफ हो जायेगा कि कैसे शांति को भी एक तमाशा बनाया जा सकता है।

नोबेल शांति पुरस्कार भले ही पूर्ण न हो, पर यह अब भी नैतिकता का मानदंड बना हुआ है। फिलहाल, फीफा का यह नया पुरस्कार, कम से कम अभी के लिए, एक जनसंपर्क प्रयोग जैसा दिखता है, जिसे नैतिकता का जामा पहना दिया गया है।

शराबी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर भेजने के पक्ष रखा। तमाम जिरह सुनने के बाद डंपर चालक को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 21 नवंबर को रखी गई है।

कोर्ट की कार्रवाही के दौरान ही चौमूं बार एसोसिशन ने बड़ा फैसला लेते हुए डंपर चालक कल्याण मीणा की ओर से किसी भी तरह की कोई पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया।

'वंदे मातरम्' कांग्रेस की बैठकों का हमेशा हिस्सा रहा है- खड़गे

- **उन्होंने कहा कि आरएसएस की शाखाओं व बैठकों में यह गीत कभी नहीं गाया गया।**

नयी दिल्ली, 07 नवंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम् गीत को राष्ट्र की सामूहिक आत्मा को जागृत करने वाला स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोषक गीत बताते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) तथा भाजपा पर हमला किया और कहा कि राष्ट्रभक्ति का डंका पीटने वाले इस संगठन के लोगों ने अपनी शाखाओं में और बैठकों में इस गीत को कभी नहीं गाया।

खड़गे ने वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को एक सन्देश में कहा कि 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम् का गायन किया था और तब इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में नयी ऊर्जा भर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो नीति को समझती थी और उस समय अंग्रेजों की इस नीति के विरुद्ध वंदे मातरम् अटूट शक्ति का गीत बनकर उभरा, जिसने सभी भारतीयों को भारत माता की भक्ति में शक्ति के रूप में एक सूत्र में बांध दिया था। फिर 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम सांसों तक वंदे मातरम् की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। यह गीत लाला लाजपत राय के प्रकाशन का शीर्षक था, भीकाजी कामा के उस तिरंगे पर अंकित था जो उन्होंने जर्मनी में फहराया।

पूर्व विधायक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि अपीलार्थी को जमानत मिलने के बाद उसने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया था। हाईकोर्ट ने भी इस आधार पर केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर किया था। आरोपी मंत्री और तीन बार विधायक रह चुका है। ऐसे में इन जिलों में वह दबदबा रखता है। इसलिए अपील को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपील को खारिज कर दिया है।

सरकार ने पुणे में विवादास्पद भूमि सौदे को रद्द कर दिया है- अजीत पवार

मुंबई, 07 नवंबर। पुणे के विवादित भूमि सौदे को लेकर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विवादास्पद लेनदेन को रद्द कर दिया है। विपक्षी दलों की तरफ से इस्तीफे की मांग और विवाद बढ़ ने के बीच शुक्रवार को अजीत पवार ने कहा, उनके बेटे पार्थ और उनके व्यावसायिक साझेदार ने पुणे में जमीन खरीदी। हालांकि, दोनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पुणे में उनकी कंपनी जो जमीन खरीद रही है, वह सरकारी संपत्ति है।

विवाद के बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे पवार ने पत्रकारों को बताया कि सौदे की जांच के लिए सरकार ने समिति गठित की है। इसकी रिपोर्ट एक महीने के भीतर आ जाएगी। इससे पहले सरकार पुणे के इस जमीन सौदे से संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण रद्द कर चुकी है। अधिकारियों को संबंधित हलफनामा भी सौंपा जा चुका है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि इस सौदे में एक भी रुपये का लेन-देन नहीं हुआ है। पवार ने बताया, संबंधित जमीन सरकारी है। इसे बेचा नहीं जा सकता। पार्थ और उनके साझेदार दिग्विजय पाटिल को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। पंजीकरण कैसे हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे की अगुवाई में जांच समिति बनाई गई है। वह एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे।

दलितों के लिये आरक्षित भूमि कौड़ियों के भाव मंत्री पुत्र को दी- राहुल गांधी

- **उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के इस मामले में प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं**
- **राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि दलितों के लिये आरक्षित 1800 करोड़ रुपये की सरकारी भूमि मंत्री के बेटे की कम्पनी को 300 करोड़ रुपए में बेच दी गई।**

नयी दिल्ली, 07 नवंबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को दलित विरोधी करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला किया और कहा कि महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली मंत्री के बेटे को दलितों के लिए आरक्षित सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी जाती है, लेकिन मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते।

उन्होंने कहा कि इस जमीन की कीमत 1800 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन राज्य सरकार के प्रभावशाली मंत्री के बेटे को कंपनी चलाने के लिए सरकार ने यह जमीन महज 300 करोड़ रुपए में बेच दी और स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी दे दी। आश्चर्य की बात यह है कि खुद को दलितों का हितैषी बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में मौन साधे हुये हैं। गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र में दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन सिर्फ़ 300 करोड़ रुपए में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई है। ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी। मतलब एक तो लूट और उस पर कानूनी मुहर में भी छूट। उन्होंने ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि वे लुटेरों की लूट पर मौन हैं, क्योंकि वे ही उनकी सरकार का आधार हैं। उन्होंने कहा "मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है - क्या आप इसीलिए खामोश हैं, क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है, जो दलितों और वंचितों का हक़ हड़पते हैं।"

तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली से उड़ानों में देरी

नयी दिल्ली, 07 नवंबर। स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम (एएमएसएस) में तकनीकी खराबी आने के कारण राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) और उत्तर भारत के कई अन्य स्थानों पर उड़ानों में देरी हो रही है।

एएमएसएस एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) डेटा का समर्थन करता है। विमानन कंपनी इंडिगो ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "एएमएसएस में तकनीकी समस्या के कारण, दिल्ली हवाई अड्डे और उत्तरी क्षेत्र के कुछ अन्य हवाई अड्डों पर सभी एयरलाइनों की उड़ानें इस समय देरी का सामना कर रही हैं।" भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने भी इस व्यवधान की पुष्टि की है।

मानेसर भूमि घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की मुश्किलें बढ़ीं

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर सीबीआई का रास्ता खोला

- **सीबीआई का आरोप है कि मानेसर के आसपास के गांवों में किसानों से सस्ते दाम से भूमि अधिग्रहित की गई। बाद में निजी बिल्डरों को रियायती दामों पर लाइसेंस जारी किये गये।**

चंडीगढ़ , 07 नवंबर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को मानेसर भूमि घोटाला मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे पंचकूला स्थित केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में अब आरोप तय करने की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

उच्च न्यायालय से राहत न मिलने के बाद, अब सीबीआई की विशेष अदालत हुड्डा और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करेगी और मुकदमे की औपचारिक कार्यवाही शुरू होगी। सीबीआई पहले ही इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई लोगों पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि 2007 में भूमि अधिग्रहण से जुड़ा यह मामला उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सीबीआई को सौंपा गया था। शीर्ष अदालत ने तत्कालीन हुड्डा सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए इसे धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा था। अदालत ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा कमाए गए अवैध लाभ की जांच करने और सार्वजनिक धन की वसूली के निर्देश दिए थे। सीबीआई ने सितंबर 2015 में जांच शुरू की थी और 2018 में हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ लगभग 80,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम जिले के मानेसर और आसपास के गांवों में किसानों से सस्ते दामों पर जमीन अधिग्रहित की गई और बाद में निजी बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों को रियायती दरों पर लाइसेंस जारी किए गए।

'उन्नीस सौ सैंतीस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस और भाजपा ने न तो यह गीत कभी गाया, न ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने गीत के केवल पहले दो पदों को अपनाने का फैसला किया था, जिनमें शेष पदों की तरह देवी-देवताओं का धार्मिक चित्रण नहीं था। बाकी पदों में भारत माता को हिंदू देवियों, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में चित्रित किया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी. आर. केशवन ने नेहरू द्वारा सुभाषचंद्र बोस को लिखे 1937 के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू ने लिखा था-यह गीत "मुसलमानों को नाराज़ कर सकता है"। केशवन का कहना था कि नेहरू का यह दृष्टिकोण एक "ऐतिहासिक भूल" थी, जिसने गीत के राष्ट्रीय प्रतीकवाद को कमजोर किया। "वंदे मातरम्" का विवाद पहले भी कई बार भड़क चुका है, खासकर राजस्थान और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में, जहां स्कूलों और मदरसों में इस गीत के गायन को अनिवार्य करने के सरकारी आदेशों का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। यह गीत पहली बार 1882 में बंकिमचंद्र चटर्जी के उपन्यास "आनंद मठ" में सामने आया था।

राजकॉम्प ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खरीद व रखरखाव के लिए उदयपुर जिले का टेंडर एक फर्म को दिया गया। इस कंपनी ने डी.एस.ओ. के फर्जी साइन कर कार्य संपूर्णता का प्रमाण पत्र पेश कर सालों तक करोड़ों रुपए का भुगतान उठाया। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार डी.एस.ओ. ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किया था। इसी तरह टोंक में भी फर्जीवाड़ा कर भुगतान उठाया गया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता संस्था के सदस्य टीएन शर्मा ने एसीबी में इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन एसीबी ने धारा 17-ए के तहत जांच की स्वीकृति के लिए मामला भेज दिया। जबकि नीतिगत निर्णय से जुड़े मामले में ही इस धारा के प्रावधान लागू होते हैं। मामले पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

अधिकतर देश के इकॉनमिस्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तो देख रहे हैं, लेकिन कोई स्थाई बदलाव नहीं।"

एसबीआई का अपना मजबूत प्रदर्शन, जो स्वस्थ ऋण वृद्धि और स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता, (स्टेबल एसैट क्वालिटी) में परिलक्षित होता है, एक और चिंता को छुपाता है: ये है असुरक्षित ऋणों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी। खुदरा और व्यक्तिगत ऋण में तेज वृद्धि को देखते हुए नियामक पहले ही संभावित जोखिमों पर चेतावनी दे चुके हैं। अगर रोजगार सृजन धीमा हुआ या ब्याज दरें अप्रत्याशित रूप से बढ़ीं, तो इससे परिवारों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा और बैंकों को नए जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

बाहरी मोर्चे पर भी माहौल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कमोडिटी बाज़ार अस्थिर हैं, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव है और वैश्विक व्यापार अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। आईएमएफ की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों में वृद्धि असमान है, जबकि चीन की मंदी और व्यापारिक बदलावों का असर भारत जैसे उभरते देशों पर पड़ सकता है। शेट्टी ने इन जोखिमों को स्वीकार करते हुए कहा कि नीति निर्माताओं को अल्पकालिक प्रोत्साहन की बजाय स्थिरता और दीर्घकालिक टिकाऊ विकास पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आलोचकों का कहना है कि 2026 के आम चुनावों से पहले राजकोषीय अनुशासन और ढांचागत सुधारों की गति धीमी पड़ गई है।

हालांकि महंगाई में कमी आई है, लेकिन अभी भी आरामदायक स्तर से ऊपर बनी हुई है, खासकर खाद्य और सेवाओं के क्षेत्र में। मुख्य महंगाई के दबाव में कमी आई है, लेकिन आम परिवार अभी भी खाद्य वस्तुओं, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान हैं। आम भारतीयों के लिए अर्थव्यवस्था की मजबूती का मतलब कई बार बढ़ती लागत, और स्थिर वेतन से होता है, एक ऐसा अंतर जिसे केवल आंकड़ों से नहीं छिपाया जा सकता।

आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है, "भारत की विकास कहानी तुलनात्मक रूप से प्रभावशाली है, लेकिन इसके लाभ समान रूप से नहीं बंटे हैं। जब तक ग्रामीण मांग और वास्तविक वेतन में सुधार नहीं होता, तब तक जीडीपी के ऊंचे आंकड़े वास्तविक आर्थिक ताकत को पूरी तरह नहीं दिखा पाएंगे।"

शेट्टी ने दीर्घकालिक स्थिरता, हरित वित्त और जलवायु लचीलेपन की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन यहां भी प्रगति असमान रही है। तमाम घोषणाओं के बावजूद भारत की हरित अर्थव्यवस्था में निवेश अभी भी सीमित है, और बैंकों ने नए ऋणों में से केवल 5 प्रतिशत से भी कम राशि पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ क्षेत्रों को दी है।

शेट्टी का सतर्क आशावाद निराधार नहीं है, लेकिन यह कुछ अहम असंतुलनों को नजरअंदाज करता है। भारत की वृद्धि भले ही तुलनात्मक रूप से मजबूत हो, पर यह अभी व्यापक, समावेशी या झटकों से मुक्त नहीं है। एचएसबीसी की मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के शब्दों में, भारत तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन शायद अपनी ही विसंगतियों के बोझ से पूरी तरह आगे नहीं निकल पा रहा।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908